कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री चन्द्रभानु, कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री नन्नूमल लालचन्द, लाल दरवाजा, मथुरा**
प्रार्थना पत्र संख्या	**364 / 08**
प्रार्थी की ओर से	**कोई उपस्थित नहीं हुआ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

1. व्यापारी द्वारा धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र संख्या-364 / 08, दिनांक 11.9.08 प्रस्तुत किया गया जिसके माध्यम से उनके द्वारा बताया गया कि वह मिठाई के निर्माण एवं बिक्री का कार्य करते हैं तथा उनका सकल विक्रय-धन रु0 5 लाख से कम है तो क्या उनका कर का दायित्व बनेगा। चूँकि वैट प्राविधानों में विक्रय-धन कर योग्य सीमा (रु0 5 लाख) से अधिक बिक्री होने पर कर का दायित्व बनता है। यदि व्यापारी का विक्रय-धन कम होने के बाद भी व्यापारी पंजीयन जारी रखना चाहता है तो क्या उसका कर का दायित्व सकल विक्रय-धन रु0 5 लाख से कम होने पर बनेगा या नहीं ?

2. व्यापारी द्वारा एक प्रार्थना-पत्र दिनांक 20.11.09 को प्रस्तुत किया गया कि उनके धारा-59 के प्रार्थना-पत्र का निस्तारण प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों के आधार पर कर दिया जाय।

3. मेरे द्वारा व्यापारी के प्रार्थना-पत्र एवं अन्य तथ्यों का अवलोकन किया गया। पाया गया कि व्यापारी का उक्त प्रार्थना-पत्र धारा-59 (1) (a) (b) (c) (d) (e) के अन्तर्गत नहीं आने के कारण प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किया जाता है।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के कम्प्यूटर अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 19 दिसम्बर, 2009

ह0 /- 19.12.09

(चन्द्रभानु)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रमाणित प्रतिलिपि